न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : मुकेश कुमार कलाल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 91/2016 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 19.12.2016

1. श्री भवानीशंकर आत्मज उदाजी मीणा, निवासी जावराखुर्द तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री घनश्याम आत्मज भवानीशंकर मीणा, निवासी जावराखुर्द तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़।

..... अपीलांटगण

बनाम

श्री बाबूलाल आत्मज कालू मीणा, निवासी जावराखुर्द
तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ

.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार रावतभाटा बमिसल नं. 04/2014 निर्णय दिनांक 07.06.2016

उपस्थितः– वकील अपीलान्टगण :– श्री सत्यनारायण ईनाणी
वकील रेस्पोडेन्ट :– श्री छोगालाल जाट

निर्णय दिनांक 11.11.2019

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभिभाषक अपीलान्ट ने एक अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रावतभाटा दिनांक 07.06.2016 प्रकरण संख्या 04/2014 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस न्यायालय में प्रस्तुत की कि अपीलान्ट भवानीशंकर आत्मज उदा मीणा, घनश्याम आत्मज भवानीशंकर मीणा, निवासी जावराखुर्द नेइ विरूद्ध रेस्पोडेन्ट श्री बाबूलाल आत्मज कालूजी मीणा, निवासी जावराखुर्द तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ जावराखुर्द की आराजी नम्बर 99 रकबा 0.88 हैक्टर के बेदखली का आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रावतभाटा ने स्वीकार किया गया जो विधि एवं तथ्यों के विपरीत है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पूरा अवसर दिये बगैर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया गया, जो निरस्त योग्य है क्योंकि अधिनिस्थ न्यायालय ने पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर हमारा (अपीलान्ट) कब्जा अतिक्रमी के रूप में माना जो पूर्णतया गलत है। जबकि हमे अपीलान्ट को कब्जा मेनाबाई पुत्री चांदमल मीणा व अन्य द्वारा सौपा गया जो खातेदार की पुत्री है एवं जिसके पक्ष में न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा दिनांक 11.09.2014 को स्थायी निषेधाज्ञा जारी की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह मान कर कि रेस्पोडेन्ट के नाम पंजीकृत विक्रय पत्र है जिससे वह कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि स्व. चांदमल द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में कोई विक्रय पत्र नही लिखा गया और न ही चांदमल का हक व हिस्सा बेचा गया, जबकि वास्तविकता यह है कि स्व. चांदमल के भाईयों ने धोखे से तथ्यों को छिपाकर रेकार्ड में अपने नाम अंकित करा दिये और आराजी विक्रय कर दी, जबकि इस तथा–कथित विक्रय पत्र से चांदमलजी के वारिस पाबंद नही है। हम (अपीलान्ट्स) मेनादेवी की और से सिंजारे काश्त कर रहे है, जो कि पूर्व के रेकार्डेड खातेदार चांदमल की पुत्री है। हमे (अपीलान्ट्स) को सुनवाई का अवसर दिये बगैर व किसी साक्ष्य, सबूत लिये बिना यह आदेश जारी किया जो निरस्त योग्य है। निर्णय दिनांक 07.06.2016 को होना बताया जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना व जानकारी नही थी। दिनांक 28.11.2016 को पटवारी हल्का द्वारा बेदखल करने हेतु आगाह करने पर जानकारी हुई, और उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी प्रतिलिपी 28.11.2016 को प्राप्त हुई। दिनांक 07.06.2016 से दिनांक 28.11.2016 तक का समय कन्डोन माना जावें एवं दफा 5 कानून अवधि का प्रार्थना पत्र (शपथ पत्र) जो प्रस्तुत किया जिसको स्वीकार फरमाया जावें। अतः अवधि में पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की और से वकील श्री छोगालाल जाट ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट की और से धारा 5 कानून मियाद प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई जवाब/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया एवं प्रकरण में धारा 5 कानून मियाद पर सीधी ही बहस चाही गई।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून पर सुनी गई। बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र धारा 5 मियाद कानून में (प्रार्थना पत्र में) वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद में प्रस्तुत करना बताया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की है वह बेरूनमियाद है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत नही किया है न ही कोई निर्णय दिनांक 07.06.2016 से 28.11.2016 तक अपील प्रस्तुत नही करने का कोई ठोस कारण नही बताया गया है। अतः अपील अपीलांट खारीज की जावें।

प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद कानून पर उभय पक्ष की बहस एवं प्रकरण पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद कानून का शपथ पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस एवं अधिनस्थ न्याायलय की मूल पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार रावतभाटा द्वारा रेस्पोडेन्ट, प्रार्थीगण जो कि नायब तहसीलदार रावतभाटा के यहां 183 बी प्रकरण संख्या 04/2014 में विपक्षीगण है को विधिवत सूचना पत्र जारी किये गये है जो बाद तामिल प्राप्त हुए है। नायब तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रक्रियाधीन विधिसम्मत निर्णय किया है क्योंकि प्रार्थीगण (नायब तहसीलदार रावतभाटा के प्रकरण में) द्वारा प्रकरण की भूमि रेकार्डेड खातेदार से क्रय की है। अतः अवैध कब्जा जो अपीलान्ट का हटाया जाने की कार्यवाही की जो नियमानुसार न्यायोचित प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। नायब तहसीलदार रावतभाटा के निर्णय दिनांक 07.06.2016 को यथावत रखा जाता है। प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा वर्णित किया है कि उक्त भूमि पूर्व खातेदार स्व. चांदमल की पुत्री मेनाबाई के द्वारा उन्हे सिंजारे पर दी गई है। प्रकरण में मेना बाई पक्षकार नही है मेनाबाई को अगर अपने पिता की भूमि में हिस्सा नही मिला है तो वह सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। वे सक्षम न्यायालय से अपने हक व हिस्से हेतु इमदाद पाने की हकदार है किन्तु उक्त अपील से इसका संबंध स्पष्ट नही होता है। क्योंकि अपीलान्ट किसी भी रूप में खातेदार हो सके कोई तथ्य नही है न ही मैना बाई द्वारा विक्रय की गई हो ऐसा भी कोई तथ्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर न्यायालय नायब तहसीलदार का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(मुकेश कुमार कलाल)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Kumar
Date: 2019.11.19 13:48:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: